2024
संशोधित
संस्करण

द लेक्सिकन

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि

सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न–पत्र IV के
पाठ्यक्रम व बदलती प्रवृत्ति के अनुरूप

टॉपर्स द्वारा पठित व अनुमोदित

नीतिशास्त्रीय मुद्दे

इस पुस्तक से विगत वर्षों में 90 प्रतिशत से अधिक प्रश्न पूछे गए

विशेष छूट
कूपन कोड
के माध्यम से

इस संस्करण में विशेष...

- संविधान, कानून एवं समाज के गतिशील पहलुओं पर समकालीन नैतिक मुद्दे
- पाठ्यक्रम में प्रयुक्त 'प्रमुख शब्दों' के अभिप्राय
- केस स्टडी को हल करने का अभिनव एवं सुव्यवस्थित दृष्टिकोण
- नैतिक दृष्टिकोण से नवीन शब्दावलियों का व्यापक कवरेज

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 2024

द लेक्सिकन

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि

❑ केस स्टडी ❑ अवधारणा ❑ सिद्धांत ❑ मुद्दे ❑ शब्दावली

संघ एवं राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर-IV के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित

☑ **टॉपर्स द्वारा पठित व अनुमोदित**

☑ **90 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के उत्तर समाहित**

Instant Discount Coupon

Step-1: QR कोड को स्कैन करें

Step-2: नीचे दिए गए कूपन को स्क्रैच करें

Step-3: इस कोड को निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें और त्वरित छूट प्राप्त करें

संपादकः एन. एन. ओझा

(सिविल सेवा परीक्षाओं के मार्गदर्शन में 33 से अधिक वर्षों का अनुभव)

लेखन एवं प्रस्तुतिः क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE

Nurturing Talent Since 1990

संपादक संवाद

"द लेक्सिकन: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि" पुस्तक का यह 6वां संशोधित संस्करण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए नवीनतम प्रश्न-पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक व्यापक संग्रह है। यह पुस्तक विशेष रूप से सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-IV के पाठ्यक्रम को संबोधित करती है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में समय के साथ जैसे-जैसे प्रश्नों का स्वरूप गत्यात्मक हो रहा है, उसी के अनुरूप छात्रों को एक अद्यतन, व्यापक एवं सारगर्भित अध्ययन सामग्री प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता भी बढ़ती है, जो परीक्षा के परिवर्तनशील प्रतिरूप के साथ सहजता से मेल खाती हो। इस संस्करण में "पाठ्यक्रम में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों के अर्थ" को भी शामिल किया गया है, ताकि छात्र इस विषय को सहजता से समझ सकें।

विगत तीन वर्षों में "लेक्सिकन" पुस्तक यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की नवीनतम मांगों को संबोधित करने के लिए उत्तरोत्तर खुद को ढाल रही है। इस संस्करण में नीतिशास्त्र, सार्वजनिक जीवन, समाज एवं शासन के क्षेत्र में नवीनतम विकास एवं उभरते रुझानों को प्रतिबिंबित करने वाली विषय वस्तु को शामिल करते हुए इस पुस्तक की परिशोधन यात्रा को जारी रखा गया है।

मूल रूप से सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-IV की अकादमिक विषय-वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए विकसित की गई "लेक्सिकन" पुस्तक के इस नवीनतम संस्करण में इसके आयामों और वैचारिक-गंभीर्यता में पर्याप्त संशोधन एवं संवर्धन किया गया है। गतिशील पाठ्यक्रम तथा परीक्षा के अद्यतन स्वरूप को देखते हुए वर्तमान संस्करण में 'नैतिक अंतर्ज्ञान', 'नीतिशास्त्रीय परोपकारिता', 'गैर-वापसी का सिद्धांत' आदि जैसे नए विषय और आयाम शामिल किए गए हैं। पुस्तक का वर्तमान नवीन संस्करण न केवल नीतिशास्त्र के मूल सिद्धांतों को संबोधित करता है, बल्कि संवैधानिक एवं कानूनी मुद्दों के साथ-साथ मूनलाइटिंग, समलैंगिक विवाह का अधिकार, भिक्षा एवं वेश्यावृत्ति आदि जैसे समकालीन नैतिक मुद्दों की भी पड़ताल करता है।

परीक्षा की लगातार बढ़ती जटिलताओं को पहचानते हुए यह संस्करण केस स्टडी हल करने के लिए आवश्यक मनोवृत्ति पर भी गहराई से प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों में न केवल नैतिक सिद्धांतों की समझ का विकास हो, बल्कि प्रभावी निर्णय निर्माण हेतु आवश्यक मनोवैज्ञानिक योग्यता भी विकसित हो सके, जो उन्हें एक सफल सिविल सेवक के गुणों के साथ संरेखित करे। नवीनतम संस्करण न केवल केस स्टडी को हल करने हेतु आवश्यक दृष्टिकोण को संबोधित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि छात्रों को केस स्टडी को हल करते समय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-IV की अवधारणाओं की एक झलक मिल सके। इससे परीक्षा की मांग के अनुरूप आवश्यक अभिक्षमता एवं अभिमुखता विकसित करने में मदद मिलेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-IV अभ्यर्थियों से नीतिशास्त्र की सामान्य समझ से कहीं अधिक की मांग करता है; इसके लिए परीक्षार्थियों को अपने दैनिक जीवन में स्वयं के व्यवहार को नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता होती है। इस अपेक्षा को पूर्ण करने हेतु क्रॉनिकल संपादकीय टीम द्वारा अपने समृद्ध अनुभवों और विशेषज्ञता को शामिल करते हुए, आरंभ से ही इस पुस्तक को संशोधित और पुनर्संकल्पित किया गया है। वर्षों के शोध के माध्यम से प्राप्त मूल्यवान अंतर्दृष्टि द्वारा वर्तमान संस्करण को छात्रों के लिए एक व्यापक और समग्र समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हम आशा करते हैं कि "द लेक्सिकन : नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि" पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की दिशा में आपकी यात्रा में एक अमूल्य साधन के रूप में कार्य करेगी। यह संस्करण आपको विषय की चुनौतियों से निपटने तथा एक जिम्मेदार एवं प्रभावी सिविल सेवक के निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक ज्ञान, योग्यता और नैतिक कौशल प्रदान करेगा।

पुस्तक में सुधार और संशोधन के संबंध में आप अपने सुझाव editor@chronicleindia.in पर भेज सकते हैं।

भविष्य के लिए शुभकामनाएं...

- एन.एन. ओझा (संपादक)

इस पुस्तक को कैसे पढ़ें?

"द लेक्सिकन : नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि" पुस्तक नीतिशास्त्र एवं संबंधित अवधारणाओं के सभी आयामों को शामिल करने वाला एक सार-संग्रह है। इसे विशेष रूप से सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-IV के पाठ्यक्रम तथा अन्य अवधारणाओं को संबोधित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा तथा अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है।

यह पुस्तक नीतिशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के साथ-साथ वास्तविक जीवन स्थितियों में इसके अनुप्रयोग की समझ को बढ़ाने में मददगार होगी। इस दिशा में, अवधारणाओं की स्पष्ट समझ तथा एक गहन आधार विकसित करने के लिए इस पुस्तक के अध्ययन में निम्नलिखित दृष्टिकोण का पालन किया जा सकता है-

चरण 1: नीतिशास्त्र के संबंध में प्रारंभिक स्पष्टता विकसित करने तथा इस पुस्तक की ज्ञान-मीमांसा से परिचित होने के लिए, सर्वप्रथम आपको इसके आरंभ में दिए गए "पाठ्यक्रम" और "पाठ्यक्रम में प्रयुक्त शब्दों के अभिप्राय" का अध्ययन करना चाहिए। पाठ्यक्रम की समझ आपको इस प्रश्न-पत्र की मांग एवं दायरे से परिचित कराएगी तथा "पाठ्यक्रम में प्रयुक्त शब्दों के अभिप्राय" का अध्ययन आपको इसकी स्पष्ट समझ विकसित करने में सहायक होगा।

चरण 2: पाठ्यक्रम से परिचित होने के बाद, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस पुस्तक का 'प्रथम बार अध्ययन' (First Reading) करें। प्रथम बार अध्ययन के दौरान पाठक को बुनियादी अवधारणाओं और वास्तविक जीवन परिवेश में उनके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विषय छात्रों से बुनियादी समझ की मांग करता है; इसलिए संबंधित अवधारणाओं एवं विषयों के बीच अंतर करने का प्रयास करें। विषयों से अधिक परिचित होने तथा गहरी अवधारणात्मक समझ एवं स्पष्टता प्राप्त करने के लिए, इस पुस्तक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी। अध्ययन के दौरान पाठक को नीतिशास्त्र से जुड़ी अवधारणाओं को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए तथा पाठ्यक्रम में दिए गए 'प्रमुख शब्दों' (Keywords) को कंठस्थ कर लेना चाहिए, इससे उन्हें विषय के साथ अधिक सहज होने में मदद मिलेगी।

चरण 3: तीसरे चरण में विशेष रूप से 'व्यावहारिक पहलुओं' पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रश्न-पत्र का एक व्यापक और विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आप इस पुस्तक में दी गई केस स्टडी को पढ़कर और विभिन्न अवधारणाओं के अंतर्संबंधों को समझकर इस संदर्भ में अधिकतम प्रभावोत्पादकता विकसित कर सकते हैं। केस स्टडी को हल करने के लिए आयामों की विविधता और सिद्धांतों के अनुप्रयोग की समझ जरूरी है। इसलिए इस पुस्तक की शुरुआत में दिया गया "केस स्टडी" नामक खंड मनोविज्ञान और अभिरुचि या अभिक्षमता विकसित करने तथा विषयों की व्यापक समझ बनाने में मददगार हो सकता है।

चरण 4: एक बार जब आप ये सभी चरण पूरा कर लें, तो विगत वर्षों के प्रश्नों को पढ़ते समय अपनी समझ का विश्लेषण करने का प्रयास करें। यह आपको इस विषय के संबंध में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और इस पुस्तक के द्वारा आपकी अर्जित अभिक्षमता को प्रतिबिंबित करेगा। बाद में इस पुस्तक की बार-बार और आवधिक पुनरावृत्ति के माध्यम से आप इसे और बढ़ा सकते हैं।

अनुक्रमणिका

1. लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी 01–36

- केस स्टडी क्या है?.....2
- केस स्टडी के प्रकार 2
- केस स्टडी पर संक्षिप्त विवरण.....8
- केस स्टडी को हल करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण.....9
- केस स्टडी में शामिल हितधारक.....11
- केस स्टडी की व्याख्या.....14
- विगत वर्ष के प्रश्न-पत्र का सामान्य अवलोकन.....15

2. नीतिशास्त्र और मानवीय सह–संबंध 37–106

- मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, निर्धारक एवं परिणाम.....38
- नीतिशास्त्र का क्षेत्र (Scope) तथा आयाम.....47
- मानवीय मूल्य.....70
- सामाजिक मूल्य.....73
- नैतिक मूल्य अथवा मान्यताएं 74
- आधारभूत मानवीय मूल्य.....77
- महान नेताओं, प्रशासकों, सुधारकों के जीवन से शिक्षा
- मानव क्रियाकलाप में नीतिशास्त्र 82
- शासन में नीतिशास्त्र के निर्धारक 86
- नैतिकता बनाम नीतिशास्त्र.....86
- नैतिकता, नैतिक मूल्य और नीतिशास्त्र.....87
- निजी संबंधों में नैतिकता 90
- सार्वजनिक जीवन में नैतिकता.....93
- मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका...105

3. अभिवृत्ति 107–152

- अभिवृत्ति: सारांश, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध. 108
- अभिवृत्ति में परिवर्तन.....119
- वास्तविक बनाम अभिव्यक्त अभिवृत्ति.....125
- नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति 128
- राजनीतिक अभिवृत्ति 132
- सामाजिक प्रभाव और धारणा.....135
- प्रत्यायन या धारणा.....143
- लोक एवं प्रशासनिक अभिवृत्ति तथा भारत में अभिशासन 148

4. सिविल सेवा अभिरुचि और बुनियादी मूल्य 153–182

- सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी.....154
- भारत में सिविल सेवा मूल्य 155

- अभिरुचि.....161
- सत्यनिष्ठा.....162
- बुद्धिमता.....166
- कार्यनिर्वाह-क्षमता.....167
- निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव.....168
- कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना.....171

5. भावनात्मक समझ 183–214

- भावनात्मक समझ.....184
- भावनात्मक गुणक: संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा का प्रारूप.....190
- भावनात्मक समझ और कार्य अभिवृत्ति (मनोवृत्ति).....194
- भावनात्मक बुद्धि व समझ रखने वाले प्रशासक के गुण.....198
- नेतृत्वकर्ता में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की समझ.....202
- व्यक्तिगत नैतिक नीति.....213

6. भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान 215–262

- दर्शन.....216
- आधुनिक नैतिक दर्शन.....216
- मानकीय नीतिशास्त्र के सिद्धांत.....218
- भ्रष्टाचार और नीतिशास्त्रीय सिद्धांत.....223
- नीतिशास्त्र के अन्य प्रमुख सिद्धांत.....229
- भारतीय दर्शन में नीतिशास्त्र.....233
- धर्म और नीतिशास्त्र.....236
- प्रमुख धर्म एवं नीतिशास्त्र.....237
- गांधीवादी नीतिशास्त्र.....247
- स्वार्थमूलक नैतिकता.....252
- कानून, नियम और नीतिशास्त्र.....253
- अस्तित्ववादी नैतिकता-जीन पॉल सार्त्र.....255
- दंड और इसका नैतिक औचित्य.....260
- वैश्विक न्याय.....261

7. लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र 263–318

- स्थिति तथा समस्याएं.....264
- नैतिक सक्षमता.....272
- सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं.....280
- नेतृत्व.....290

- नैतिक मार्गदर्शक के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा..... 296
- शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण..... 308

8. अंतरराष्ट्रीय संबंध और नैतिकता 319–342

- अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता..... 320
- व्यापक राष्ट्रीय शक्ति..... 324
- सामाजिक पूंजी और अंतरराष्ट्रीय संबंध..... 328
- अंतरराष्ट्रीय मामलों के अंतर्गत नैतिक मुद्दे..... 330
- अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप..... 334
- युद्ध की नैतिकता के विरुद्ध तर्क..... 338

9. शासन व्यवस्था में ईमानदारी 343–420

- लोक सेवा की अवधारणा..... 344
- सिविल सेवा..... 350
- शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार..... 355
- सरकार में सूचना का आदान-प्रदान, सूचना का अधिकार और पारदर्शिता..361
- नीतिपरक आचार संहिता..... 365
- आचरण संहिता..... 371
- नागरिक घोषणा पत्र..... 373
- कार्य संस्कृति..... 377
- नागरिकों को सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता..... 383
- सार्वजनिक निधि का उपयोग..... 390
- भ्रष्टाचार की चुनौतियां..... 403
- राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का पहचान करने की रणनीति..... 406
- सत्यनिष्ठा समझौता..... 417
- नागरिक समाज..... 417
- ई-शासन..... 419

10. प्रशासन में हितों का संघर्ष/टकराव 421–446

- सरकार में हितों का टकराव..... 422
- प्रशासन में संघर्ष..... 435
- सेवा की भावना..... 438
- अतिव्यापी/परस्पर व्याप्त और अंतरनुभागीय जिम्मेदारियों में हितों का संघर्ष/टकराव....440

11. व्यावसायिक नीतिशास्त्र 447–468

- व्यावसायिक शासन..... 449
- व्यवसायों के लिए नैतिक दुविधाएं..... 451
- व्यावसायिक नीतिशास्त्र..... 452
- अभियांत्रिकी नीतिशास्त्र..... 466

12. उद्धरण और कथन 469–482

- भारतीय 471
- पश्चिमी 476
- वैश्विक 479
- मूल्यों पर कथन 480
- नैतिकता पर कथन 480
- शक्ति पर दार्शनिक विचार 480
- भ्रष्टाचार पर कथन 481
- उद्धरण और लोकोक्तियां 481

13. नैतिक मुद्दे 483–552

- संवैधानिक एवं कानूनी मुद्दे 484
  - समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का अधिकार 484
  - विलंबित न्याय 485
  - नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार 487
- समाज एवं सामाजिक मुद्दे 489
  - दयामृत्यु/इच्छामृत्यु 489
  - बेरोजगारी 491
  - श्रम से जुड़े नैतिक मुद्दे 492
  - भिक्षावृत्ति 493
  - वेश्यावृत्ति 494
  - अल्पसंख्यक 496
  - अवैध प्रवासी 497
  - लिंचिंग और असहिष्णु समाज 498
  - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 499
  - कमजोर और वंचित वर्ग 500
  - लैंगिक असमानता 502
  - एलजीबीटीक्यू से संबंधित नैतिक मुद्दे 504
  - अजन्मे बच्चे का अधिकार 505
  - स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी नैतिकता 506
  - इंटर-जेनरेशनल इक्विटी 506
  - डिजिटलीकरण तथा संस्कृति 508
  - शिक्षा और नैतिक मुद्दे 509
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 510
  - लिंग-निर्धारण 510
  - सरोगेसी 511
  - जेनोट्रांसप्लांटेशन : चिकित्सकीय व नैतिक निहितार्थ 512
  - स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का व्यावसायीकरण 515
  - गर्भपात से संबंधित नैतिक मुद्दे 516
  - चिकित्सा उद्योग के नीतिगत मुद्दे 516
  - जीनोम एडिटिंग 518
  - थ्री-पेरेंट बेबी 519
  - मानव प्रतिरूपण और डिजाइनर शिशु 521
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नैतिक मुद्दे 521
  - डेटा गोपनीयता और संरक्षण 522
  - मानवीय मूल्यों के साथ नवाचार 523

- मीडिया 525
  - भारतीय मीडिया और पत्रकारिता : नैतिक मुद्दे 525
  - डिजिटल मीडिया तथा इसकी चुनौतियां 526
  - मजबूत शिकायत तंत्र का अभाव 527
- लोक प्रशासन एवं शासन 529
  - प्रशासनिक विवेकाधिकार 529
  - प्रशासन में भ्रष्टाचार 530
  - भ्रष्टाचार उजागर करना (Whistle-blowing) 531
  - भाई-भतीजावाद 532
- मानव संसाधन 533
  - मूनलाइटिंग 533
  - मानव संसाधन से संबंधित नैतिक मुद्दे 534
- आर्थिक मुद्दे 535
  - कॉर्पोरेट शासन से संबंधित नैतिक मुद्दे 535
  - नीतिशास्त्र एवं कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी 536
  - अभियांत्रिकी व्यवसाय/उद्यम में शामिल नैतिक मुद्दे 537
  - पूंजी अधिकतमीकरण तथा पूंजी का समान वितरण 539
  - कृषक संकट संबंधी नैतिक मुद्दे 539
- पर्यावरण 541
  - जलवायु शरणार्थी 541
  - मानव-पशु संघर्ष और नाशक प्रजातियों को मारने से संबंधित मुद्दे 542
  - पर्यावरण बनाम विकास बहस 543
- अंतरराष्ट्रीय नैतिकता संबंधी मुद्दे 544
  - विकासात्मक सहायता और सशर्तता संबंधी नैतिकता 544
  - मानवीय हस्तक्षेप 545
  - अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी WTO के मानदंड एवं अत्यल्प विकसित देशों (LDCs) के हित ... 546
  - मुद्रा का हेरफेर 547
- सुरक्षा संबंधी मुद्दे 547
  - आतंकवाद और सामाजिक नीतिशास्त्र 547
  - सरकार द्वारा नागरिकों के विरुद्ध अविवेकपूर्ण रूप से बल का प्रयोग 548
  - विदेशी जल-सीमा में मछुआरों का भटकाव एवं उनकी गिरफ्तारी 549
  - परमाणु हथियार और निरस्त्रीकरण 549
- आपदा-प्रबंधन 551
  - आपदा-प्रबंधन नीतिशास्त्र 551

14. नीतिशास्त्र संबंधित शब्दावली 553–572

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-IV : नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

इस प्रश्न-पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार-व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न-पत्रों में किसी मामले के अध्ययन (केस स्टडी) का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा:

- नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध: मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम; नीतिशास्त्र के आयाम; निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र; मानवीय मूल्य-महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा; मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- अभिवृत्ति: सारांश (कंटेन्ट), संरचना, वृत्ति: विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध; नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि; सामाजिक प्रभाव और धारणा।
- सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना।
- भावनात्मक समझ: अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग।
- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।
- लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र: स्थिति तथा समस्याएं; सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं; नैतिक मार्गदर्शन के स्त्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा; जवाबदेही एवं नीतिशास्त्रीय शासन; शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण; अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे; कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था।
- शासन व्यवस्था में ईमानदारी: लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भष्टाचार की चुनौतियां।
- उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

पाठ्यक्रम में प्रयुक्त शब्दों के अभिप्राय

- नीतिशास्त्र (Ethics): मौलिक मानवीय गुणों के अनुरूप, उचित और अनुचित के विचारों पर आधारित कार्रवाई।
- सत्यनिष्ठा (Integrity): नैतिक सुदृढ़ता, निरंतर सच्चाई के मार्ग पर चलना तथा मजबूत नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति सुसंगत रहना और समझौता किए बिना इनका पालन करना।
- अभिरुचि (Aptitude): किसी व्यक्ति की अपने कार्यों और निर्णयों में नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को समझने और लागू करने की जन्मजात क्षमता अथवा एक निश्चित स्तर पर एक निश्चित प्रकार का कार्य करने की योग्यता।
- अभिवृत्ति (Attitude): किसी व्यक्ति का किसी चीज को देखने का नजरिया या उसके प्रति व्यवहार अथवा कार्य करने, महसूस करने या सोचने का एक तरीका, जो किसी के स्वभाव, राय, मानसिक प्रवृत्ति या अभिविन्यास आदि को दर्शाता हो।
- मानवीय मूल्य (Human Values): वे नियम, जिनके द्वारा हम उचित और अनुचित, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अच्छा और बुरा के बारे में निर्णय लेते हैं।
- धारणा (Persuasion): किसी को एक निश्चित स्थिति या विश्वास या कार्य पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- भेदभाव रहित (Impartiality): विभिन्न विचारों अथवा राय पर समान एवं निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने का गुण।
- गैर-तरफदारी (Non-Partisanship): किसी भी राजनीतिक दल या विशेष हित समूह का समर्थन नहीं करना तथा उससे प्रभावित नहीं होना।
- निष्पक्षता (Objectivity): भावनाओं या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना तथ्यों एवं सूचित घटनाओं पर आधारित निर्णय लेना।
- सहानुभूति (Sympathy): दूसरों के दुख को साझा करने का मानवीय गुण।
- समानुभूति (Empathy): दूसरों के दुखों को न केवल साझा करने बल्कि समझने का मानवीय गुण।
- संवेदना (Compassion): दूसरे के दुखों को समझने और कुछ करने की इच्छा रखने का मानवीय गुण।
- सहिष्णुता (Tolerance): दूसरों के विश्वासों या मान्यताओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की इच्छा या सम्मति।
- भावनात्मक समझ (Emotional Intelligence): अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता। लोगों के महसूस करने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को समझने की क्षमता तथा इस कौशल का उपयोग प्रभावी निर्णय लेने और समस्या समाधान हेतु करना।
- दुविधा (Dilemma): ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक चीजों के बीच चयन करना कठिन हो।

- अंतरात्मा (Conscience): उचित और अनुचित के संबंध में अपने स्वयं के विचारों के अनुरूप होना।
- जवाबदेही (Accountability): स्वयं द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम की जिम्मेदारी लेना और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों का त्वरित एवं निष्पक्षतापूर्ण ढंग से समाधान करना।
- भ्रष्टाचार (Corruption): बेईमानीपूर्ण लाभ हेतु विश्वासपूर्ण स्थिति अथवा पद का उपयोग (एकाधिकार + विवेक – जवाबदेही = भ्रष्टाचार)।
- ईमानदारी (Probity): निष्ठावान, सत्यनिष्ठ एवं न्यायनिष्ठ व्यक्ति होना। निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के मूल्यों को लागू करना।
- नागरिक घोषणा-पत्र (Citizen's Charter): उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करने के लिये एक सार्वजनिक संगठन द्वारा नागरिकों को दी गई वचनबद्धता।
- पारदर्शिता (Transparency): जानकारी साझा करना तथा खुले ढंग से कार्य करना। हालांकि, प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए यह जानकारी समय पर, प्रासंगिक, सटीक और पूर्ण होनी चाहिए।
- सूचना का अधिकार (Right to Information): यह सरकार से कोई भी जानकारी मांगने, किसी भी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करने और उसकी प्रमाणित फोटोकॉपी की मांग करने के भारतीय नागरिक के अधिकार को संदर्भित करता है।
- आचरण संहिता (Codes of Conduct): यह किसी व्यक्ति के लिए मानदंडों, नियमों, जिम्मेदारियों तथा उचित अभ्यास को रेखांकित करने वाले नियमों का एक समूह है।
- नीतिपरक आचार संहिता (Codes of Ethics): यह सिद्धांतों का एक मार्गदर्शक है, जो पेशेवरों को ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने में मदद करने हेतु विकसित की जाती है।
- कार्य संस्कृति (Work Culture): किसी संगठन के भीतर और उसके कर्मचारियों के बीच प्रथाओं, मूल्यों एवं साझा मान्यताओं का एक सेट, जिसे आम तौर पर सोचने तथा कार्य करने का उचित तरीका माना जाता है, कार्य संस्कृति कहलाती है।

❖❖❁❖❖

1

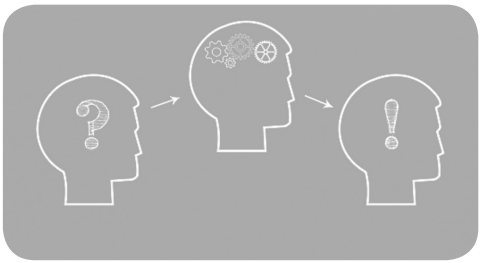

लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी

आज सिविल सेवा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर आधार तथा उचित कार्य वातावरण के अभाव के रूप में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में सैद्धान्तिक अध्ययन की अपनी सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। अत: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में सिविल सेवा परीक्षा में उन पद्धतियों को शामिल किया जाए, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो तथा जिनसे नौकरशाही का ऐसा वर्ग तैयार हो, जो केवल किताबी ज्ञान में महारत न रखता हो, अर्थात् नौकरशाही से रोज वास्ता पड़ने वाले विषयों का भी व्यावहारिक ज्ञान हो। यह पुस्तक भी सिविल सेवा परीक्षा में आए बदलाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिनमें कई ऐसे 'Terms' हैं, जिन्हें समझने में पाठकों को कठिनाई हो सकती है। केस स्टडी मॉडल एक ऐसा माध्यम है, जिसके सहारे उन 'Terms' को सरलीकृत किया जा सकता है, ताकि उन्हें प्रासंगिक संदर्भ से जोड़कर बृहद परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके।

नीचे दिए गये अनुभाग में हमने उद्देश्यपूर्ण तरीके से यह प्रस्तुत किया है कि केस स्टडी के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। केस स्टडी, किसी मामले के बेहतर प्रबंधन से संबंधित शिक्षाशास्त्र कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लेख भी दिए गये हैं, जो केस स्टडी के प्रश्नों को सही समझ विकसित करने एवं बेतरीन तरीकों से सुलझाने में मदद करेंगे।

केस स्टडी क्या है?

एक केस स्टडी कोई गतिविधि, घटना या समस्या है, जिसमें वास्तविक या काल्पनिक स्थितियां शामिल होती हैं और इसमें वे जटिलताएं भी सम्मिलित होती हैं जिनका व्यक्ति कार्यस्थल पर सामना करता है। केस स्टडी का विषय, वास्तविक जीवन की जटिलताएं और किसी व्यक्ति या अधिकारी के निर्णय पर इनका प्रभाव होता है। केस स्टडी का विश्लेषण करने के लिए आपको अपने ज्ञान और सोच कौशलों को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर लागू करने की आवश्यकता होती है। केस स्टडी विश्लेषण से सीखने के लिए आप 'विश्लेषण, ज्ञान और तर्क को लागू करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे।' (कार्डोस और स्मिथ 1979)

कार्डोस और स्मिथ के अनुसार एक अच्छी केस स्टडी में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- इसे वास्तविक जीवन से लिया जाता है (सच्ची पहचान को छिपाया जा सकता है)।
- इसमें कई भाग होते हैं और प्रत्येक भाग आमतौर पर समस्या और चर्चा के बिन्दुओं पर समाप्त होता है। केस में स्थिति (situation) की कोई स्पष्ट निर्दिष्ट सीमा नहीं हो सकती है।
- इसमें पाठक के लिए समस्याओं और मुद्दों के समाधान हेतु पर्याप्त सूचना होती है।
- यह पाठक के विश्वासयोग्य होती है (केस में समायोजन (Setting), व्यक्तित्व, घटनाओं का क्रम, समस्याएं और संघर्ष शामिल होते हैं)

संक्षेप में, एक केस स्टडी आपको निष्क्रिय रहने के स्थान पर भाग लेने का मौका देती है। किसी मामले पर परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से जानने का एक साधन उपलब्ध करता है। इसके माध्यम से परीक्षक प्रश्नोत्तर शैली की परीक्षा से परे उम्मीदवार के भीतर क्षमता की मौजूदगी या गैरमौजूदगी की संभावना का परीक्षण कर सकता है।

केस स्टडी के प्रकार

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का सामान्य अध्ययन पेपर-4 की विषय वस्तु नीतिशास्त्र (एथिक्स) है। पेपर 4 का एक सेक्शन केस स्टडी से सम्बंधित होता है, जहां से 100 से अधिक अंको के प्रश्न पूछे जाते हैं। केस स्टडी उम्मीदवारों के लिए प्रमुख स्कोरिंग क्षेत्रों में से एक है और इसलिए केस स्टडी की समझ तैयारी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। केस स्टडी के मामलों को हल करने के लिए उम्मीदवार का दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी द्वारा पूछे गए केस स्टडी पर प्रश्न इस मामले में अलग हैं कि, वे उन विशेषताओं की जांच करते हैं, जो एक सिविल सेवक से अपेक्षित हैं।

केस स्टडीज के प्रासंगिक विश्लेषणों से हम देख सकते हैं कि वे मूल रूप से वास्तविक या काल्पनिक स्थितियां हैं जहां व्यक्ति के समक्ष नैतिक समस्याएं या नैतिक दुविधाएं उपस्थित होती हैं। कुछ मामलों में नैतिक दुविधाओं की कई परतें हो सकती हैं। जहाँ कोई अधिकारी कई स्तरों पर अपने ऊपर के अधिकारियों या अधीनस्थों के संपर्क में रहता है वहां दुविधाओं के भी कई स्तर हो सकते हैं। ऐसी दुविधाएं मजबूत नैतिक मानकों के साथ ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बहुआयामी बौद्धिकता की मांग करती हैं। इसके अलावा नीतिशास्त्र के कुछ केस निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। इन केसों को मानक नैतिक अभ्यास (standard ethical practices) द्वारा हल किया जाता है।

अलग-अलग केसों को हल करने के लिए अलग-अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इसलिए किस प्रकार का केस दिया गया है और नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, यह जानने के लिए सबसे पहले केस स्टडी के प्रकार और उससे जुड़ी दुविधा की पहचान आवश्यक है।

किसी भी मामले में, एक केस स्टडी चार विभिन्न रूपों में किसी एक रूप में हो सकती है:

- व्याख्यात्मक केस स्टडी
- अन्वेषी केस स्टडी

2

नीतिशास्त्र और मानवीय सह-संबंध

नीतिशास्त्र सिद्धांतों का एक समूह है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करने के साथ ही जीवन की दिशा एवं लक्ष्य को भी निर्धारित करता है। एक समाज के अपने नैतिक मानदंडों के मानवीय कार्यों में नीतिशास्त्र की अवधारणा और सिद्धांत, निजी और सार्वजनिक संबंधों में लोगों के व्यवहार, निर्णयों और कार्यों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

'मानव क्रिया' नैतिकता का वह प्रारंभिक बिंदु है, जो किसी व्यक्ति के किसी भी कार्य की नैतिकता या अनैतिकता का निर्धारण करने में सबसे पहले विचार करने वाले बिंदुओं में से एक है कि, जो बताता है कि यह एक सचेत मानवीय कार्य होना चाहिये।

प्रत्येक मानव कार्य एक ठोस क्रम में विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। इसलिये परिस्थितियां किसी कार्रवाई की नैतिकता को प्रभावित कर सकती हैं और नैतिक गुणवत्ता में कुछ जोड़ सकती हैं। मानव क्रिया की परिस्थितियों में ऐसी चीजें शामिल होती हैं जैसे किसी विशेष समय पर, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष एजेंट द्वारा, किसी विशेष तरीके से किया जाने वाला कार्य।

वस्तुतः नीतिशास्त्र मानक नियमों एवं आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण तथा व्यवहार का नियमन, मार्गदर्शन तथा मूल्यांकन करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण है।

मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक एवं परिणाम

अवधारणा

Ethics अंग्रेजी का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'Ethica' से हुई है। 'Ethica' का अर्थ है- रीति, प्रचलन या आदत। नीतिशास्त्र रीति, प्रचलन या आदत का व्यवस्थित अध्ययन है।

प्रचलन, रीति या आदत मनुष्य के वे कर्म है, जिनका उसे अभ्यास हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ये मनुष्य के अभ्यासजन्य आचरण है। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं आचरण कहलाती है; अर्थात् आचरण वे कर्म है, जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है। नीतिशास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं या आचरण का समग्र अध्ययन है। इसकी विषयवस्तु आचरण है। अत: इसे आचारशास्त्र भी कहा जाता है।

आचरण का अध्ययन दो तरीके से किया जा सकता है-प्रथम, मनुष्य का आचरण कैसा होता है; द्वितीय, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए?

मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके अध्ययन के लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता होती है। वे कर्म, जिन्हें हम अच्छा या बुरा मानते आए हैं, वास्तव में उसकी कसौटी क्या है और वे कहां तक ठीक हैं? वह शास्त्र जिनमें इन पर विचार किया जाता है, नीतिशास्त्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में, नीतिशास्त्र का प्रमुख कार्य है, मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों की परीक्षा करके उन्हें नैतिक-अनैतिक या उचित-अनुचित की संज्ञा देना।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अत: यह अनिवार्य है कि उसके चरित्र एवं संकल्प नैतिक मानदंडों के अनुकूल हों, ताकि उसे जीवन के परम लक्ष्य-सत् तथा शुभ की प्राप्ति हो सके। नीतिशास्त्र इसी परम लक्ष्य अर्थात् सर्वोच्च आदर्श का अध्ययन करता है।

वस्तुत: नीतिशास्त्र मानक नियमों एवं आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण तथा व्यवहार का नियमन, मार्गदर्शन तथा मूल्यांकन करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण है। व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र पर निर्भर करता है। चरित्र के अनुकूल ही व्यक्ति का आचरण होता है। चरित्र मनुष्य के संकल्प करने का अभ्यास है। चूंकि नीतिशास्त्र शुभ आचरण का अध्ययन करता है, अत: इसे चरित्र विज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है।

नीतिशास्त्र की परिभाषा

यह मानवीय प्रयासों में उचित और अनुचित का अध्ययन करता है। अधिक सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो यह वह पद्धति है, जिसके द्वारा हम अपने मूल्यों को वर्गीकृत करते हैं और उसका अनुपालन करते हैं। निस्संदेह यह एक तथ्य है कि मनुष्य में सही व गलत व्यवहार में फर्क करने की एक त्वरित जागरूकता होती है।

नैतिक दर्शनशास्त्र केवल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण नहीं करता, बल्कि यह उन तथ्यों की तात्पर्यता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, उसे बौद्धिक स्तर पर स्वीकार या खारिज करता है, उसके प्रभावों को समझता है, उसके व्यावहारिक परिणामों को देखता है और सबसे प्रमुख यह कि वह उसके अंतिम उद्देश्यों तक पहुंचता है। इस प्रकार नीतिशास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि चरम प्रसन्नता प्राप्ति के साधन के रूप में औचित्य या अनौचित्य के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन ही, नीतिशास्त्र है (The systematic study of human actions from the point of view of their rightfulness or wrongness as means for the attainment of the Ultimate happiness)। इस प्रकार नीतिशास्त्र मानवीय व्यवहार के उस भाग की अच्छाई या बुराई का चिंतनशील अध्ययन है, जिसकी कुछ व्यक्तिगत जवाबदेही है।

3

अभिवृत्ति (ATTITUDE)

सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति विकसित करते हैं, जो उनके अंदर एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। जब हम लोगों से मिलते हैं, तब हम उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय (अर्थात व्यक्ति, समूह, विचार, वस्तु, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है।

अभिवृत्ति की सभी परिभाषाएं इस बिंदु पर एकमत हैं कि अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। यह किसी विषय (जिसे अभिवृत्ति-विषय कहा जाता है) के संबंध में विचारों का एक पुंज है, जिसमें एक मूल्यांकनपरक विशेषता (सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्था का गुण) पाई जाती है। इससे संबद्ध एक सांवेगिक घटक होता है तथा अभिवृत्ति-विषय के प्रति एक विशेष प्रकार से क्रिया करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।

अभिवृत्ति सारांश, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध

अवधारणा

फिशबीन एवं अजेन के मुताबिक ''अभिवृत्ति किसी दी हुई वस्तु के संदर्भ में निरंतर अनुकूल या प्रतिकूल भाव से प्रत्युत्तर की विज्ञ-पूर्ववृत्ति है'' (A learned predisposition to respond in a consistently favourable or unfavourable manner with respect to a given object.)। कुछ ऐसी ही परिभाषा **इगली और चायकेन** (1993) ने भी प्रस्तुत की। उनके मुताबिक ''अभिवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जो किसी इकाई विशेष की कुछ हद तक पक्ष या विपक्ष से मूल्यांकन द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है।'' (Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favour or disfavor)। इस परिभाषा के हिसाब से अभिवृत्ति सभी वस्तुओं अथवा परिस्थितियों के बजाय इकाई अथवा वस्तु विशेष पर केंद्रित है।

हिंदी में अभिवृत्ति की जगह 'मनोवृत्ति' एक प्रचलित शब्द है, जिसका व्यवहार प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में दिन-प्रतिदिन करते हैं। वस्तुतः मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिच्छाया है; जिसके आधार पर वह व्यक्ति, समूह, वस्तु, परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रकट करता है। मनोवृत्ति का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर दिशासूचक रूप से पड़ता है। मनोवृत्ति व्यक्ति की शक्ति को एक खास दिशा में लगा देती है, जिसके कारण वह अन्य दिशाओं को छोड़कर एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने लगता है।

जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट है- मनोवृत्ति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। अगर व्यक्ति की मनोवृत्ति सकारात्मक है तो उसकी प्रतिक्रिया भी अनुकूल होगी, परन्तु अगर मनोवृत्ति नकारात्मक है तो प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं, बल्कि प्रतिकूल होगी; अर्थात् व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा उसके व्यवहार के बीच सदा सम्बद्धता होती है।

अभिवृत्ति एवं अन्य धारणाएं

अभिवृत्ति को दो अन्य घनिष्ठ रूप से संबंधित संप्रत्ययों, विश्वास (beliefs) एवं मूल्य (values) से विभेदित किया जाना चाहिए। विश्वास, अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक (Cognitive) घटक को इंगित करते हैं तथा एक ऐसे आधार का निर्माण करते हैं, जिन पर अभिवृत्ति टिकी है; जैसे ईश्वर में विश्वास या राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रजातंत्र में विश्वास।

मूल्य, ऐसी अभिवृत्ति या विश्वास है, जिसमें 'चाहिए' का पक्ष निहित रहता है; जैसे आचारपरक या नैतिक मूल्य। एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, या एक व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऐसे विचार मूल्य के उदाहरण हैं।

मूल्य का निर्माण तब होता है, जब कोई विशिष्ट विश्वास या अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन जाती है। इसके परिणामस्वरूप मूल्य में परिवर्तन करना कठिन है। अभिवृत्ति के द्वारा किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है? यह देखा जाता है कि अभिवृत्ति वह पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जो एक व्यक्ति को यह निर्णय करने में सुविधा प्रदान करती है कि नई परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है। उदाहरणस्वरूप, विदेशियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति। उनसे मिलने पर हमें उनके प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए यह अप्रत्यक्ष रूप से एक मानसिक 'रूपरेखा' प्रदान करती है।

4

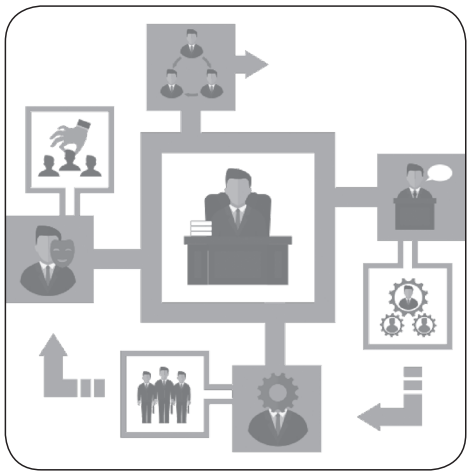

सिविल सेवा अभिरुचि और बुनियादी मूल्य

सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव तथा कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता व संवेदना को संदर्भित करता है।

लोक सेवकों के लिए नैतिक मूल्यों एवं मानकों का निर्धारण एक कठिन कार्य है। इस प्रक्रिया की अपनी कुछ सीमाएं हैं और यह स्पष्ट है कि विश्व के प्रत्येक क्षेत्र या फिर राष्ट्र का विकास एक समान नहीं हुआ है। इनके सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिमान एवं ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न रही है।

इन जटिल परिस्थितियों में लोक सेवकों को अपना काम करना पड़ता है। इन दुविधाजनक क्षणों में मूल्य व मानक ही वे सूत्र हैं, जो उनके व्यवहार को सही दिशा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं तथा परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में अथवा निर्णय लेने में मदद करते हैं।

सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी

सिविल सेवकों के विशेष दायित्व होते हैं, क्योंकि वे समुदाय द्वारा सौंपे गए संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे समुदाय को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जो समुदाय के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। समुदाय को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि सिविल सेवक निष्पक्ष रूप से उचित और कुशलतापूर्वक कार्य करें। यह जरूरी है कि समुदाय सिविल सेवक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया की निष्ठा में भरोसा और विश्वास करें।

सिविल सेवा के अन्दर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके निर्णय और कार्य तत्कालीन सरकार की नीतियों और उन मानकों को परिलक्षित करें, जिसकी समुदाय सरकारी सेवकों के रूप में उनसे उम्मीद करता है। यह उम्मीद कि सिविल सेवा उत्तरोत्तर सरकारों की सेवा करने में एकसमान पेशेवरशीलता, प्रतिक्रियाशीलता और निष्पक्षता के मानक बनाए रखेंगे। लोकतंत्र में एक कुशल सिविल सेवकों में मूल्यों का एक समूह होना चाहिए, जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करें।

एकीकरण, सरकारी सेवा के प्रति समर्पण, निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति सहिष्णुता एवं सहानुभूति, एक कुशल सिविल सेवक की विशेषताएं समझी जाती हैं। कुछ देशों में इन विशेषताओं को कानूनों में समाहित किया गया है, उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में उन्हें संबंधित संविधानों में शामिल किया गया है।

सिविल सेवा संहिता

सिविल सेवा संहिता में उल्लेखित मूल्यों का अर्थ-

- 'कर्त्तव्यनिष्ठा' का अर्थ, सार्वजनिक सेवा के दायित्वों को अपने खुद के हितों से ऊपर रखना है।
- 'ईमानदारी' का अर्थ सच्चा और खुला होना है।
- 'उद्देश्यपरकता' का अर्थ अपनी सलाह और निर्णयों को साक्ष्य के कठोर विश्लेषण पर आधारित करना है।
- 'निष्पक्षता' का अर्थ निष्पक्ष रूप से मामले के गुणावगुणों के अनुसार कार्य करना तथा उतनी ही अच्छी तरह के भिन्न-भिन्न राजनीतिक सिद्धांतों वाली सरकार की सेवा करना है।

इन महत्वपूर्ण मूल्यों से सरकार को समर्थन प्राप्त होता है तथा सिविल सेवाओं द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में उच्चतम संभव मानकों की उपलब्धि सुनिश्चित होती है। बदले में इससे सिविल सेवक को मंत्रियों, संसद, जनता और इसके ग्राहकों का सम्मान प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने में मदद मिलती है। सिविल सेवकों से अपेक्षित कर्त्तव्यनिष्ठा और वफादारी का उल्लेख करने के अलावा संहिता में संसद या जनता को धोखा देना, पदों का दुरुपयोग और गोपनीय सूचना का अनाधिकृत प्रकटन निषिद्ध है। संहिता में उपयुक्तता और आत्मज्ञान के मामलों के संबंध में स्वतंत्र सिविल सेवा आयुक्त के समक्ष अपील करने की व्यवस्था है, यदि प्रश्नगत समस्या का समाधान विभाग के अन्दर न हो।

सार्वजनिक सेवा विधेयक 2007 के मसौदे में सार्वजनिक सेवा और सरकारी सेवक अपने कार्यों के निपटान में निम्नलिखित मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित होने का उल्लेख करते हैं:

1. देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को कायम रखना।
2. संविधान और राष्ट्र के कानून के प्रति निष्ठा।
3. उद्देश्यपरकता, निष्पक्षता, ईमानदारी, विवेक, विनम्रता और पारदर्शिता; तथा
4. पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना।

सार्वजनिक सेवा मूल्यों की समीक्षा: केन्द्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अधीन संगठनों अथवा विभागों में सार्वजनिक सेवा मूल्यों को अपनाने, अनुपालन और कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है।

5

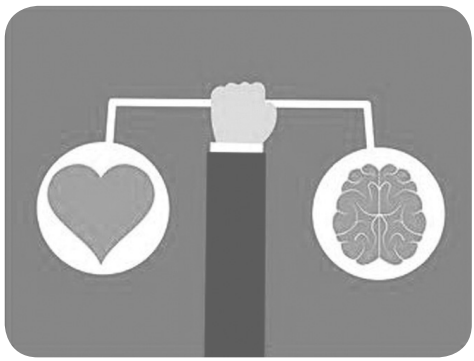

भावनात्मक समझ

भावनात्मक समझ से तात्पर्य व्यक्ति का अपने तथा दूसरों के मनोभावों को समझना, उन पर नियंत्रण करना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना है। भावनात्मक समझ दूसरों से व्यवहार करते समय व्यक्ति के संवेगों और अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है, ताकि शांति और सामंजस्य विकसित किया जा सके।

भावनात्मक समझ आधुनिक तंत्रिका विज्ञान में प्रचलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें भावनात्मकता को तर्कसंगत सोच में बाधाओं या व्यवधानों के बजाय, इन्हें हमारे परिवेश के बारे में उपयोगी विवरणों के स्त्रोत के रूप में संरचित किया जाता है।

भावनाएं: भावनाएं एक व्यक्ति के मन की अवस्था है, जो कि आतंरिक और बाह्य प्रभावों से अंत:क्रिया करता है, की जटिल मनोसामाजिक प्रक्रिया का अनुभव है।

प्लूटचिक के अनुसार 8 प्राथमिक भावनाएं- गुस्सा, दृढ़, दु:खी होना, घिन आना, आश्चर्य, जिज्ञासा, स्वीकृति और खुशी हैं।

बुद्धिमत्ता (समझ): इसका आशय स्थिति को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी माध्यम से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है।

भावनात्मक समझ

विकासमान जीव विज्ञान और तंत्रिका-विज्ञान के प्रमाण यह बताते हैं कि वास्तव में भावनाएं कहीं अधिक कुशाग्र होती हैं और समूह बुद्धि तथा सामाजिक पूंजी के निर्माण में भावनात्मक समझ या बुद्धि (EI- Emotional Intelligence), बुद्धिलब्धि (IQ-Intelligence Quotient) की तुलना में अधिक प्रभावी होती है। बैठकों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में, जब लोग एक-दूसरे से सहयोग कि लिए आते हैं, उनमें सामूहिक आईक्यू, उपस्थित लोगों के बौद्धिक ज्ञान एवं कौशल का कुल जोड़, प्रबल होता है।

वास्तव में सामूहिक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, वह औसत या सर्वोच्च आईक्यू नहीं होता, वरन् भावनात्मक बुद्धि या समझ होता है। उस समूह में मौजूद निम्न भावनात्मक बुद्धि वाला एकमात्र व्यक्ति संपूर्ण समूह के सामूहिक आईक्यू को कमजोर कर सकता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझा जा सकता है:

''मान लीजिए कि एक भयंकर प्राकृतिक आपदा घटित हो गई है। राहत एवं पुनर्वास के लिए केन्द्र एवं राज्य तथा विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वयन की जरूरत है। संक्षेप में यह कि निर्णय लोगों द्वारा लिया जाना है। कल्पना कीजिए कि सारे अधिकारी भविष्य की रणनीति पर बैठक में विचार कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि समूह में शामिल सभी लोगों का संयुक्त बुद्धि व कौशल, सामूहिक आईक्यू है। तभी किसी विभाग के प्रधान की क्रोध की भावना (निम्न भावनात्मक बुद्धि) उबल पड़ती है और गरमा-गरम बहस शुरू हो जाती है। इससे पूरी बैठक की दिशा बदल जाती है और चर्चा अपनी दिशा खो देता है। यहां एक व्यक्ति की निम्न भावनात्मक बुद्धि ने उच्च सामूहिक बुद्धि यानी ग्रुप आईक्यू पर प्रभावी होते हुए विमर्श को बिगाड़ दिया।

भावनाओं के बौद्धिक निर्देशन के बिना मनुष्य नम्य होकर परिस्थिति का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है। सही समय एवं सही जगह का फायदा नहीं उठा सकता, अस्पष्ट एवं विरोधाभासी संदेशों की भावना को नहीं समझ सकता। परिस्थिति के अलग-अलग तत्वों की महत्ता को नहीं पहचान सकता, परिस्थितियों के बीच की समानताओं का पता नहीं लगा सकता।

पुरानी अवधारणाओं एवं नयी अवधारणा का एकीकरण कर नया मार्ग नहीं बन सकता या फिर कोई अनूठा मार्ग विकसित नहीं कर सकता। भावनाओं के मार्गदर्शन के बिना हम विवेकी नहीं हो सकते।

भावनात्मक समझे वाले व्यक्ति:

- खुद पर हंस सकते हैं।
- अपने सबल पक्षों का कहां इस्तेमाल करें और अपनी कमजोरी की क्षतिपूर्ति कैसे करें, के बारे में जानते हैं।
- दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं।
- नीतिशास्त्रीय कार्य करते हैं तथा सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के जरिये विश्वास का निर्माण करते हैं।
- खुद की गल्तियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं।
- नए विचारों एवं नई सूचनाओं के साथ सहज होते हैं।
- समूह की भावनात्मक धाराओं को सुनने तथा मजबूत संबंधों को जानने में कुशल होते हैं।
- समझौता कर सकते हैं एवं मतभेदों को सुलझा जा सकती हैं।
- दूसरे लोगों को सुनते हैं और यह जानते हैं कि प्रभावी ढंग से कैसे संचार किया जाये।

6

भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान

'नैतिक' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है- संकुचित एवं व्यापक। संकुचित अर्थ में 'उचित' को नैतिक कहते हैं तथा 'अनुचित' को अनैतिक। वृहत् या व्यापक अर्थ में 'नैतिक' का अर्थ है नैतिक गुणसंपन्न। जिन क्रियाओं का नैतिक निर्णय हो सके तथा जिन्हें उचित या अनुचित, पाप या पुण्य कहा जा सके, उन्हें नैतिक कर्म कहते हैं।

नैतिक कर्मों को ऐच्छिक कर्म (Voluntary Actions) भी कहते हैं। वैसा कर्म जो चेतन रूप से इच्छा या चुनाव करके किया जाता है, उसे ऐच्छिक कर्म कहते हैं। उन कर्मों के संपादन में मनुष्य का इच्छा-स्वातंत्र्य रहना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति दबाव में आकर कर्म करता है, तब उसके कर्म को ऐच्छिक कर्म नहीं कहा जा सकता है। नैतिक निर्णय के अंतर्गत सभी ऐच्छिक क्रियाएं आ जाती हैं। नैतिक कर्म का एक यह महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसका कर्त्ता सदैव एक विवेक संपन्न व्यक्ति होना चाहिए।

7

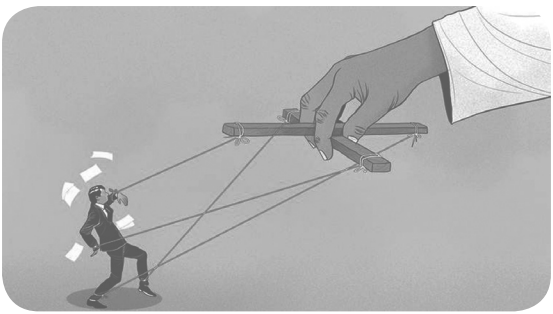

लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र

लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मूलत: सरकारी गतिविधियों के प्रभावकारी निष्पादन से संबंधित तंत्र और उसके प्रावधानों का अध्ययन है। प्रशासन की परिभाषा कुछ सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए सहकारी, मानवीय प्रयासों के रूप में दी जाती है। लोक प्रशासन, प्रशासन का वह प्रकार है, जो एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था में संचालक का काम करता है। यही वह साधन है, जो नीति निर्माताओं द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों और कार्य संपन्न करने की पूरी योजना के बीच संबंध स्थापित करता है।

लोक प्रशासन का काम उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना, विधायिका तथा नागरिक संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें साथ लेकर काम करना, संगठनों की स्थापना करना तथा उनका पुनरावलोकन करना, कर्मचारियों को निर्देश देना एवं निरीक्षण करना, नेतृत्व प्रदान करना आदि है। यह वह साधन है, जिसके द्वारा सरकारी उद्देश्यों और लक्ष्यों को वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है।

लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ 'लोक' शब्द इस अध्ययन शाखा को खास विशेषताएं प्रदान करता है। इस शब्द को सामान्यत: सरकार के रूप में समझना चाहिए। अत: लोक प्रशासन का अर्थ हुआ सरकारी प्रशासन। इसमें नौकरशाही पर विशेष बल दिया जाता है। सामान्य बातचीत में लोक प्रशासन से यही अर्थ लगाया जाता है। यदि 'लोक' शब्द का व्यापक अर्थ लगाया जाए तो ऐसा कोई भी प्रशासन, जिसका 'लोक' पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो, इस अध्ययन-शाखा की सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। नौकरशाही के कार्यों को विस्तृत करने के क्रम में सरकार के बढ़ते हुए महत्व के कारण लोक प्रशासन बहुत ही ज्यादा जटिल और विशेषीकृत होता जा रहा है।

स्थिति तथा समस्याएं

लोकतंत्र एक सत्ता की अवस्था नहीं है। यह एक नैतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर बढ़ते देशों ने मूल्यों और सिद्धन्तों को ज्यादा से ज्यादा विस्तृत धारणा कायम की है। यहां तक कि अत्यधिक उच्च विकास वाले देशों में ये सिद्धान्त भ्रष्टाचार स्कैण्डल का सामना कर रहे समाज के रूप से अचानक ही ज्यादा प्रसरणशील बन जाते हैं। व्यवहार जो कि पूर्व में स्वीकारणीय समझा गया था सिद्धान्तों के नजरिये से देखें जाने की वजह से उसकी भर्त्सना की जाती है।

सिद्धान्तों का यह नजरिया कार्यों को प्रायः ऐसे व्यक्ति के अस्वीकार्य व्यवहार के रूप में देखता है, जो लोकहितों का अस्थायी प्रबंधक है। जब मूल्य और सिद्धान्त लोक सेवा का मुख्य बिन्दु होते हैं, तो वे अपूर्वाभासी घटनाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं।

लोक प्रशासन में 'नैतिकता' परंपरागत मूल्यों और आचार संहिता से जुड़ी हुई होती है। नोलन समिति ने लोकजीवन के सात सिद्धान्त तय किए हैं, समिति का मानना था कि सभी प्रकार की लोक सेवाओं में लागू किया जाना चाहिए। ये हैं-

(i) **निःस्वार्थपरकताः** लोक कार्यालयों के कर्मचारियों को पूरी तरह जनहित के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। उन्हें अपने लिए, अपने परिवार या मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य प्रकार के लाभ पाने की आशा से कार्य नहीं करना चाहिए।

(ii) **सत्यनिष्ठाः** लोक कार्यालयों कि कर्मचारियों को अपने संस्थान के बाहर किसी व्यक्ति या संगठन के लिए वित्तीय या अन्य बाध्यताओं में नहीं बंधना चाहिए, जो उनके आधिकारिक कर्त्तव्य पालन को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर सके।

(iii) **वस्तुनिष्ठताः** कार्यों जैसे- कार्यालयी नियुक्तियां करना, ठेके आवंटित करना तथा पुरस्कार या लाभों के लिए व्यक्ति विशेष की संस्तुति करना आदि के लिए निर्णय लेते समय लोक अधिकारियों को वरीयता क्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(iv) **जवाबदेहिताः** लोक-अधिकारी जनता के प्रति लिए गए अपने निर्णयों और किए गए कृत्यों के लिए जवाबदेय होते हैं तथा इन्हें अपने कार्यालय में होने वाली किसी भी जांच में पूरे समर्पण के साथ सहयोग देना चाहिए।

(v) **खुलापनः** लोक-अधिकारियों को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों और कृत्यों के लिए जितना संभव हो सके उतना खुला दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्हें अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए सुख देना चाहिए तथा व्यापक लोकहितों की हानि होने की संभावना पर ही सुचनाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए।

(vi) **ईमानदारीः** लोक-अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होता है कि वे उनके सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित निजी हितों की घोषणा करें तथा लोकहितों की सुरक्षा के रास्ते में उभरे द्वन्द्वों/संघर्षों को सुलझाने के लिए कदम उठाए।

(vii) **नेतृत्वः** लोक-अधिकारियों को इन सिद्धान्तों को नेतृत्व और उदाहरण देकर संदर्भित और संवर्द्धित करना चाहिए।

नोटः समतामूलक समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है, जब सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता के उच्चतम सिद्धांतों का पालन किया जा सके।

वर्तमान समय में अब्राहम लिंकन के शब्द बहुत प्रसांगिक है कि, ''लगभग सभी पुरुष विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी पुरुष के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं, तो उसे शक्ति दें।''

8

अंतरराष्ट्रीय संबंध और नैतिकता

अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का अर्थ, राष्ट्रों के बीच संबंधों के नियमन हेतु नैतिकता या आचार संहिता से है। इसके अंतर्गत वे नैतिक सिद्धांत शामिल हैं, जो अनेक अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रमुख स्रोत और उनके औचित्य का निर्धारण करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंधों एवं हर प्रकार के आदान-प्रदान का वैश्विक समुदाय से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर ये संबंध अच्छे हों तो यह मानव सभ्यता के लिए हितकारी साबित होता है। परंतु अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कटुता, असहयोग और शत्रुतापूर्ण भावनाओं का प्रवेश हो जाए तो यह वैश्विक समाज के लिए हानिकारक परिणाम लाता है। अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की जब हम बात करते हैं, तो उसका अभिप्राय इन्हीं तथ्यों से है, जिनसे वैश्विक समाज अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

अंतरराष्ट्रीय नैतिकता ही वह दृष्टि प्रदान करता है, जिससे यह पता चलता है कि दो देशों के बीच कैसा बर्ताव रखते हैं तथा एक देश के द्वारा किस तरह किसी दूसरे देश को हानि पहुंचायी जा रही है। अत: अंतरराष्ट्रीय नैतिकता वह प्रयास है, जिसके माध्यम से व्यक्ति और राष्ट्र अपनी सक्रिय भागीदारी द्वारा एक स्वस्थ और बेहतर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के निर्माण व विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करता है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की भिन्न-भिन्न एजेंसियों द्वारा अपनी उपस्थिति एवं कार्यों से कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इन सिद्धांतों का संबंध किसी एक देश या फिर किसी राष्ट्र विशेष में प्रचलित सिद्धांतों से नहीं होता, बल्कि राष्ट्र और राज्य की सीमाओं से परे जाकर इन सिद्धांतों द्वारा एक स्वस्थ वैश्विक समाज की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता

यह अध्ययन की वह शाखा है, जिसका सरोकार मानवीय कर्त्तव्य से जुड़े सिद्धांतों से होता है। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में नैतिकता का अभिप्राय कर्त्तव्यों के अध्ययन से है, परंतु ये कर्त्तव्य किसी देश या समुदाय तक सीमित नहीं होते; बल्कि इनकी प्रकृति सार्वभौम होती है, अर्थात् राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर ये कर्त्तव्य मानव-मात्र के लिए प्रासंगिक होते हैं। कर्त्तव्यों की प्रकृति के अध्ययन का तात्पर्य यह जानना है कि राष्ट्रीय राज्यों में आबद्ध समुदायों का अपने सीमा क्षेत्र से बाहर के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए तथा अलग-अलग राष्ट्रों के समुदायों के बीच फर्क करना कहां तक उचित है? यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अनुशासन का तात्पर्य उन मुद्दों पर विमर्श करना है, जिनका संबंध नैतिकता के प्रश्नों से जुड़ा होता है। वर्तमान में ध्यान देने योग्य जो नैतिक समस्याएं हैं, उनका संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी है, जिनमें किसी देश या समूह द्वारा हिंसा के प्रयोग को न्यायोचित ठहराने के सवाल से लेकर विश्व के आर्थिक लाभ एवं बोझों के वितरण तक के मुद्दे शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का भी मानना है कि संप्रभु देशों का नैतिक व्यवहार वर्तमान में एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर काफी चर्चा होती रहती है। मरविन फ्रॉस्ट भी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े कुछ प्रश्नों का उल्लेख करते हैं। जैसे- एक संप्रभु देश द्वारा दूसरे संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, किसी स्थिति में जायज नहीं माना जाएगा। किसी राज्य द्वारा युद्ध की शुरुआत किन परिस्थितियों में उचित ठहराई जा सकती है? ये सारे प्रश्न अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के केंद्रीय विषय हैं।

अंतरराष्ट्रीय नीतिशास्त्र की मौजूदा स्थिति कई कारकों का परिणाम है। परमाणु अस्त्र की खोज एवं परमाणु अस्त्रों ने मौलिक नैतिक मुद्दों को उठाया है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ से लेकर पूरे शीत युद्ध के दौरान चर्चा का विषय बना रहा। वियतनाम में अमेरिकी अनुभव ने कई दार्शनिकों को युद्ध में जाने तथा युद्ध लड़ने की नैतिकता पर सोचने के लिए विवश किया। देशों की लगातार बढ़ रही अंतर्निर्भरता ने वैश्विक न्याय के मुद्दे और ऐसे मुद्दों को उभारा, जिसकी उपेक्षा करना कठिन है।

विभिन्न उपागमों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नीतिशास्त्र

अन्तरराष्ट्रीय मामलों के भिन्न-भिन्न उपागमों का अंतरराष्ट्रीय नैतिकता पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है:

- वस्तुवाद
- आदर्शवाद
- रचनात्मकतावाद
- विश्व बंधुत्व
- जीवन की समानता

वस्तुवाद और अंतरराष्ट्रीय नैतिकता (Realism and International Ethics): वस्तुवाद के अंतर्गत यह धारणा है कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में एक तथ्य जो सचमुच मायने रखता है, वह है शक्ति संपन्नता, अर्थात् एक राष्ट्र कितना शक्तिशाली है? बाकी कुछ भी इस संदर्भ में प्रासंगिक नहीं होता; नैतिकता, नीतिशास्त्र, कानून, राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था या फिर सांस्कृतिक पक्ष। वस्तुवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इन तथ्यों की भूमिका को स्वीकार नहीं करता तथा इन्हें अप्रासंगिक मानता है। वस्तुवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मामले एक प्रकार से अराजकतावाद की स्थिति है; जहां कोई कानून नहीं चलता।

9

शासन व्यवस्था में ईमानदारी

ईमानदारीपूर्वक अपने कर्त्तव्य का पालन नैतिक आचरण का प्रमाण है। यहां ईमानदारी का अर्थ व्यापक है, जिसमें न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा स्पष्टवादिता जैसे सद्‌गुणों को भी शामिल किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों तथा एजेंसियों के 'ईमानदार' होने का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार से दूर रहना ही नहीं है। अगर लोक सेवक ईमानदार है तो इसका अर्थ यह है कि उन्हें सत्यता, तटस्थता, जवाबदेयता तथा पारदर्शिता जैसे नैतिक मूल्यों का भी अनुसरण करना है।

ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा का एक अर्थ और भी है। इस अर्थ के अनुसार ईमानदार वही है, जिसे किसी तरह से भ्रष्ट न बनाया जा सके। अभिप्राय यह है कि लोक सेवक अगर व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेत हैं तो उसे भ्रष्ट नहीं बनाया जा सकता। ईमानदारी को इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति अगर नैतिक संहिता का पालन कर रहा है और खासकर वित्तीय और व्यावसायिक मामलों में सत्यनिष्ठा का पालन कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह सत्यनिष्ठ है।

सरकारी क्षेत्र में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना प्रत्येक लोक सेवक का कर्त्तव्य है। यह प्रशासन के प्रत्येक स्तर में यथा कार्यप्रणाली, पद्धति एवं आचरण में परिलक्षित होना चाहिए; ताकि प्रशासन में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया जा सके।

10

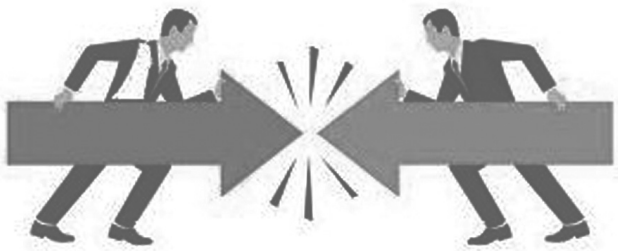

प्रशासन में हितों का संघर्ष/टकराव
CONFLICT OF INTEREST & CONFLICT IN ADMINISTRATION

संघर्ष के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का लक्ष्य बदलाव, विधि, नीति और तकनीक के बीच संघर्ष-निवारण की समझ को विकसित करना है। यह लोगों को समझ, व्याख्या, विश्लेषण और संघर्ष के स्वरुप की घोषणा और निवारण के यंत्रों को विश्लेषित करने योग्य बनाता है।

लूमिस और लूमिस ने अवलोकन किया कि "संघर्ष मानव संबंधों में हमेशा रहने वाली एक पद्धति है"। संघर्ष सामाजिक गति, सामाजिक तंत्र और राजनीतिक विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। मैक ने सुझाव दिया कि "संघर्ष को व्यवस्थित और शक्तिशाली सामूहिक सीमा, समूह की भिन्नताओं के लिए योगदान और बढ़ती हुई सामूहिक निकटता और एकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे कहते हैं, संघर्ष समूह के निर्माण को विकसित करते हैं। संघर्ष समूह को नष्ट भी कर सकते हैं, ये दोनों ही बात सत्ता या संगठनों की शक्तियों के उत्तर-चढ़ाव के कारण और अंत में एक पार्टी के संघर्ष में समाप्त हो जाने से होती है।

सरकार में हितों का टकराव
(Conflict of Interest in Government)

हितों के संघर्ष (Conflicts of Interest)

संघर्ष प्रत्येक समाज में गुप्त रूप से विद्यमान है। कुछ समाजों में यह छिपा रहता है तथा कई अन्य समाजों में यह हिंसा और विनाश के रूप में प्रकट होता है। संघर्ष व्यक्तिगत, पारिवारिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। इस प्रकार, विश्लेषण का आधार और अभिकर्ताओं का स्वरूप प्रत्येक मामलों में भिन्न होता है। यद्यपि सभी संघर्षों में कतिपय जातीय लक्षण होते हैं।

हितों में संघर्ष के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की अनदेखी करने पर या फिर परिस्थितिजन्य आवश्यकता के अनुरूप कार्य न करने पर कई बार निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है और निर्णय प्रभावित हो जाता है। ऐसी ही परिस्थिति में यह समझा जाता है कि अधिकारी का आचरण उचित नहीं है और उसने अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार का सहारा लिया है।

शासन व्यवस्था में लोक नीतियों के निर्माण के समय या फिर इन नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान किसी लोक सेवक के उत्पन्न संघर्ष की स्थिति को निम्न रूपों में देखा जा सकता है–

- अवसर की समानता की स्थिति में संघर्ष: समाज में अवसर की समानता को प्रोत्साहित करते समय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते क्षमता, न्याय, समानता जैसे मूल्यों में संघर्ष/टकराव उत्पन्न हो जाते हैं।
- अपराधों को रोकने से सम्बंधित नीतियों के क्रियान्वयन के समय संघर्ष: सरकार द्वारा अपराधों को रोकने से सम्बंधित नीतियों के क्रियान्वयन के समय स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता एवं अपराध को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रियाओं तक लोगों की पहुँच के मामले में आपसी टकराव देखने को मिलाता है।
- सुरक्षा से संबंधित नीतियाँ बनाते समय संघर्ष: सुरक्षा से सम्बंधित नीतियाँ बनाते समय भी टकराव की स्थिति देखने को मिलती है क्योंकि ये लोगों की स्वतंत्रता, गोपनीयता एवं निजता से सम्बंधित मूल्यों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्नताएं संघर्ष को उत्पन्न कर सकती हैं। उदहारण के लिए, नर्मदा नदी पर बांध बनाना आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभदायक है, पर पर्यावरण के समर्थक इसे पारिस्थितिकी के लिए खतरा मानते हैं। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय के विस्थापन को लेकर चिंतित हैं। इस प्रकार एक तरह से प्रत्येक स्थान पर संघर्ष की संभावना है। यह सांगठनिक स्तर पर संगठनों के बीच, देशों के बीच व किसी राष्ट्र में केन्द्रीय और राज्य में भी नजर आ सकता है। यहाँ तक कि संगठन में भी व्यक्तिगत स्तर पर भी संघर्ष हो सकते हैं।

प्रशासन में हितों का संघर्ष/टकराव

इस इकाई में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई (The Issues Discussed in this Unit)-

- सरकार के भीतर हितों का टकराव (Conflict of Interest in Government)
- कार्यालय के कर्त्तव्य (Office Duties)
- स्वार्थ का गुण 'वस्तुवादी नैतिकता' (The Virtue of Selfishness "The Objectivist Ethics")
- प्रशासन में संघर्ष (Conflict in Administration)
- सेवा की भावना (Spirit of Service)
- अतिव्यापी/परस्परव्याप्त और अन्तरनुभागीय जिम्मेदारियों में हितों का संघर्ष/टकराव(Conflict of Interest in Overlapping & Intersectional Roles)

11

व्यावसायिक नीतिशास्त्र

समकालीन विश्व में, संपत्ति और रोजगार सृजन करने में व्यवसाय (कॉर्पोरेट्स) की बढ़ती भूमिका और साथ ही बढ़ते व्यावसायिक धोखाधड़ी; जलवायु, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्यावसायिकों द्वारा पालन की जाने वाली नैतिकता का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है।

व्यावसायिक नैतिकता संभावित विवादास्पद विषयों के संबंध में उचित व्यावसायिक नीतियों और प्रथाओं का अध्ययन करती है, जिसमें व्यावसायिक प्रशासन, अंदरूनी व्यापार, रिश्वतखोरी, भेदभाव, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेदारी, प्रत्ययी जिम्मेदारियां, और बहुत कुछ शामिल हैं। यह अध्याय व्यावसायिक प्रशासन, कामकाज, घोटालों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

व्यावसायिक नीतिशास्त्र नैतिकता का वह रूप है, जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता रहता है और उनके संदर्भ में कुछ मानदंडों की स्थापना करता है। यह व्यवसाय के आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है और व्यक्तियों और व्यापार संगठनों के आचरण पर समग्र रूप से प्रासंगिक है।

व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन तथा तकनीक से है, जो समाज के साथ-साथ चलन में रहते हैं। नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वे सत्य एवं न्याय जैसे दो महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सही है या गलत। यह निष्पक्षता, अखंडता, समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता, व्यापक सोच, विचारशीलता, मानव सम्मान और आत्म-सम्मान आदि के महत्व जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

एंड्रयू क्रेन (Andrew Crane) के अनुसार, 'व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक स्थितियों, गतिविधियों और निर्णयों का अध्ययन है जहां सही और गलत के मुद्दों को संबोधित किया जाता है।'

- **रेमंड सी. बॉमहार्ट (Raymond C- Baumhart)** के अनुसार 'व्यवसाय की नैतिकता जिम्मेदारी की नैतिकता है। व्यवसायी को यह वादा करना चाहिए कि वह जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा।'
- **थॉमस एम. गैरेट (Thomas M- Garett) के अनुसार,** 'व्यावसायिक नैतिकता मुख्य रूप से विशिष्ट मानव आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक लक्ष्यों और तकनीकों के संबंध से संबंधित है'।

व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांत

व्यावसायिक नैतिकता के चार महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं:

- प्रचार का नियम – इस सिद्धांत के अनुसार, व्यवसायिक लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह क्या करता है।
- समतुल्य मूल्य का नियम– इसके अनुसार ग्राहक को अपने पैसों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मानक से नीचे, पुराने और निम्न गुणवत्ता वाला माल को ऊंचे दामों पर नहीं बेचा जाना चाहिए।
- व्यवसाय में अंत:करण का नियम– व्यवसायियों के पास व्यवसाय करते समय विवेक होना चाहिए, अर्थात क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय करने का नैतिक बोध होना चाहिए।
- सेवा-भाव का नियम– व्यवसाय को सेवा के उद्देश्य से महत्व देना चाहिए।

व्यवसाय में अनैतिक व्यवहार

व्यवसाय में अनैतिक व्यवहार उन कार्यों को संदर्भित करता है, जो व्यवसायिक प्रथाओं के स्वीकार्य मानकों में वृद्धि करने में विफल होते हैं।

यह निम्नलिखित रूप ले सकता है:

- प्रबंधकीय दुर्व्यवहार: यह किसी संगठन के प्रबंधन में शामिल अवैध और अनैतिक व्यवहार को संदर्भित करते हैं।
- नैतिक भूल: यह व्यावसायिक नैतिकता का एक हिस्सा है, जो श्प्रबंधन के नैतिक भूल' से संबंधित है। इसमें नैतिक समस्याएं शामिल हैं, जैसे हितों का टकराव, अनुबंधों और समझौतों का कदाचार तथा संसाधनों का अवैध उपयोग।

व्यवसाय में सम्मिलित कुछ अनैतिक व्यवहार हैं:

- प्रदूषकों को पानी में डंप करना और विषाक्त पदार्थों को हवा में छोड़ना।
- किसी घायल कर्मचारी को नौकरी या लाभ खोने की धमकी देकर सरकार को रिपोर्ट या शिकायत न करने के लिए मजबूर करना।
- कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के बाद कर्मचारी को अंतिम वेतन चेक देने से इनकार करना।
- वेतन भुगतान में देरी।
- जाति, लिंग, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव।
- कंपनी की संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग।
- ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए मनाने के लिए नकली विज्ञापन या रणनीति बनाना।
- उत्पाद बेचते समय कंपनियां उत्पाद पर वारंटी सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वे इन सेवाओं को प्रदान करने से मना कर देती हैं।
- दोषपूर्ण उत्पादों का उत्पादन करना, जो उपभोक्ताओं के लिए असुरक्षित और हानिकारक होने के साथ ही प्रकृति के लिए भी अनैतिक है।

12

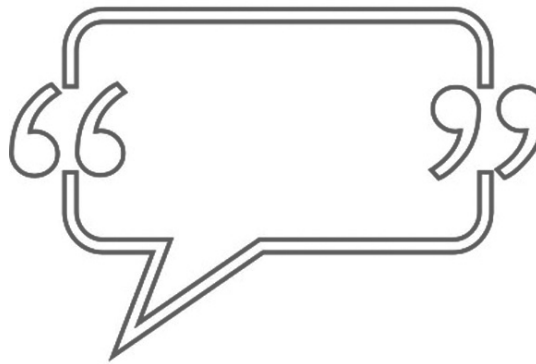

उद्धरण और कथन

ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयास करना होता है। दूसरे लोग ज्ञान को अर्जित करने में मददगार जरूर हो सकते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के साधानों पर संक्षेप में चर्चा के दौरान हमने देखा कि न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द को ज्ञान अर्जित करने के साधान के रूप में देखता है।

इस दुनिया और इसके बारे में होने वाले ज्ञान के बारे में दुनिया की तमाम सभ्यताएं बहुत पहले से विचार करती रही हैं। समस्याएं लगभग वही थीं और प्रत्येक सभ्यता में उन पर विचार हो रहा था। अतः इस दुनिया के बारे में अलग-अलग देशों और सभ्यताओं में हुए दार्शनिक चिन्तन को जानना एक दिलचस्प कहानी की तरह है।

'नैतिकता आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, के बारे में बतलाता है।'

– पॉटर स्टीवर्ट (Potter Stewart)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पॉटर स्टीवर्ट के अनुसार 'नैतिकता आपके पास क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है' के बीच अंतर को दर्शाता है, इस प्रकार कानूनी आचरण नैतिक आचरण नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी कानून का उलंघन किए कुछ करने का अधिकार हो सकता है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि यह किया जाना न्यायपूर्ण है। कोई अवैध व्यवहार किए बिना अनैतिक हो सकता है। कानून किसी व्यक्ति के अधिकारों और जिम्मेदारियों का सीमांकन करता है, हालांकि इसमें नम्यता हैं कि कोई व्यक्ति अपने मजबूत नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित निर्णय कैसे लेता है।

नैतिक व्यवहार में परिवर्तन की स्थिति और कार्य करने की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए परिस्थितियां अद्वितीय हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ करने का अधिकार, दूसरों के प्रति उसके नैतिक कर्तव्यों पर निर्भर करता है। नैतिकता एक व्यक्ति को तर्कसंगत बनाने के साथ ही उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है।

नैतिकता मानव और प्राकृतिक जीवन, दूसरों के कल्याण, ईमानदार और भरोसेमंद संचार तथा व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। नैतिक मानकों में उचित विकल्प को सक्षम बनाना, समस्याओं को हल करना, सार्वजनिक हित के विषय में सोचना और निरंतर सुधार करना शामिल है। इस प्रकार, कानूनी आचरण प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को दूसरों के प्रति एक मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है।

नैतिकता अप्रवर्तनीय दायित्व के लिए स्व-प्रवर्तित आज्ञाकारिता है। कानून बाहरी, अनिवार्य और वस्तुनिष्ठ है, जबकि नैतिकता आंतरिक, स्वैच्छिक और व्यक्तिपरक है। नैतिकता नैतिक आचरण का निर्धारक है, इस प्रकार सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है।

"अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुन्दर-मन वाले लोगों का देश बनना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं- पिता, माता और गुरु।"

- ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार और कार्य उसके मूल्यों से प्रभावित होते हैं। भ्रष्टाचार, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति और अन्यायी होना व्यक्ति में निहित अनैतिक मूल्यों का परिणाम है। इस प्रकार, एक देश को भ्रष्टाचार मुक्त और उसके नागरिकों को परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और दयालु आदि बनाने के लिए मता-पिता और गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का समावेश जरूरी है। एक बच्चे में इन मूल्यों को विकसित करने में सबसे प्रमुख भूमिका उसके माता-पिता और गुरु की होती है। 'माता-पिता बच्चे के पहले गुरु और आदर्श होते हैं।' माता और पिता दोनों ही अपने बच्चों में मूल्यों को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे पहले लोग होते हैं, जिन्हें बच्चे देखते हैं और उनसे सीखते हैं। वे बच्चे के व्यवहार को आकार देने और उसमें सकारात्मक मूल्यों को विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं।

गुरु अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श होते हैं। गुरु सच्चे अर्थों में आदर्श, उचित मार्गदर्शक, सच्चा मित्र, दार्शनिक और दूसरा अभिभावक होता है। वे भविष्य की पीढ़ी को आकार देते हैं, जिससे मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुरु न केवल एक स्थिर ज्ञान को प्रसारित करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों को जोड़कर छात्रों के मूल्यों के विकास करने में मदद करतें हैं। शिक्षक लगातार छात्रों को प्रेरित करते हैं और प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत बनते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने के बारे में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करते हैं।

इस प्रकार माता-पिता और गुरु बच्चे में ईमानदारी, निष्ठा, समय की सदोपयोग, शिष्टाचार, करुणा, सहानुभूति, अनुशासन, दक्षता, नेतृत्व और तर्कसंगतता के मूल्यों का समावेश करके देश के नैतिक नागरिक बना सकते हैं।

"अपनी सफलता को इस बात से आंकें कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा।"

- दलाई लामा

सफलता का आकलन केवल उन साधनों से किया जा सकता है, जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए हैं। किसी व्यक्ति की सफलता सार्थक है यदि सफलता प्राप्त करने के लिए भुगतान की जा रही कीमत सफलता के मूल्य से अधिक नहीं है। सफलता एक बाहरी माप नहीं है, जैसे कि डॉलर या प्रसिद्धि। लेकिन यह जानने का आर्तरिक पैमाना है कि किसी ने अपनी जिम्मेदारियों से कोई समझौता किए बिना अपने सर्वोत्तम लाभ के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं का उपयोग किया है।

13

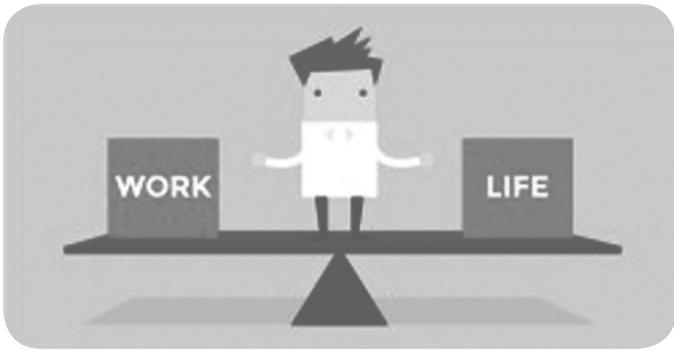

नैतिक मुद्दे

हम अपने दैनिक जीवन में कुछ नैतिक गिरावट (Ethical Lapses) को लगभग हर आयाम में पाते हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। समाचार पत्रों में हर दिन भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, घोटाले, खेलों में डोपिंग, अपराध आदि से संबंधित समाचार मौजूद रहते है। इस तरह की घटनाएं हर रोज घटित होने के कारण इतनी आम हो गयी कि अब यह सवाल किया जाने लगा है कि, क्या कोई नैतिक रूप से कार्य करता है?

नैतिकता का अध्ययन हमें जीवन से जुड़े इन्हीं वास्तविक मुद्दों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है, साथ ही यह हमें तर्कों पर पहुंचने और उन्हें जीवन में लागू करने में भी मदद कर सकता है। नैतिक सिद्धांत के आधार पर निरंतर सोचने से दुनिया से जुड़े मुद्दों के बारे में हमारी राय परिवर्तित हो सकती है।

इस अध्याय में, हम अपने दैनिक जीवन के साथ-साथ वैश्विक नैतिक चिंताओं से संबंधित कुछ सामान्य नैतिक मुद्दों को उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह के मुद्दे नैतिकता को जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने की व्यावहारिक समझ और ज्ञान प्रदान करते है।

14

नीतिशास्त्र संबंधी शब्दावली

A

Absolutism/पूर्णतावाद: यह सापेक्षवाद के विपरीत नैतिक सिद्धांत है जो मूल्य या अच्छाई में विश्वास करता है। प्राचीन ग्रन्थों में पूर्णतावाद को न्याय की स्थापना के रूप में वर्णित किया गया है जिसे स्वर्ग के धरती पर अवतरण के बराबर बताया गया है।

Accountability/जवाबदेही: यह लिए गए निर्णय और किये गए कार्यों के लिए हितधारकों को स्पष्टीकरण देने या औचित्य बताने के रूप में जाना जाता है। यह उस विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित है जो उस विशेष परिस्थिति में घटित होने वाली किसी घटना के लिए जिम्मेदार होता है।

Administrative Principles of Dominance and Subordination/प्रभुत्व और अधीनता संबंधी प्रशासनिक सिद्धान्त: प्रभुत्व और अधीनता व्यक्तित्व संबंधी प्रमुख एवं परस्पर विरोधी गुण है। प्रभुत्व का गुण अधिकार जमाने या अपने अधीन करने की भावना है वहीं अधीनता सहनशीलता की भावना को उत्पन्न करता है। इन दोनों के बीच का सामंजस्य प्रशासन को नीतियों के अधिक प्रभावशाली क्रियान्वयन का साधन बनाता है।

Afflictions/वेदना: वेदना, लगातार दर्द या तनाव को प्रतिबम्बित करता है। नीति शास्त्र में इसे शारीरिक या मानसिक कष्टों के कारक के रूप में जाना जाता है जो कुछ गलत करने से या सही कार्य न करने से उत्पन्न होता है।

Agitation/उत्तेजना: यह चिंता या घबराहट की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को एक विशेष प्रकार के परिवर्तन को बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

Ahimsa/अहिंसा: अहिंसा का अर्थ 'घायल न करना' तथा 'करुणा' के रूप में लिया जाता है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ सनातन धर्म में एक प्रमुख गुण के रूप में जाना जाता है। यह शब्द संस्कृत 'हैन' धातु से बना है जिसका अर्थ चोट पहुंचाना होता है। इसे हिंसा के विलोम/विपरितार्थक शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यानि कोई चोट या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना 'अहिंसा' है। इसे गैर-हिंसा के रूप में भी जाना जाता है।

Altruism/परोपकारिता: नीतिशास्त्र में परोपकारिता स्वार्थ या अहंकार के विपरीत, दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करने के गुण के रूप में जाना जाता है।

Alienation/वैराग/परायापन: यह पराया होने के अनुभव या अवस्था के रूप में जाना जाता है। अलगाव को अवधारणा के स्तर पर मनोवैज्ञानिक या सामाजिक बीमार के रूप में भी जाना जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने करीबी लोगों के बीच भी अलग-थलग महसूस करने की समस्या से ग्रस्त होता है।

Ambiguity/अस्पष्टता: यह एक या एक से अधिक समाधानों की उपलब्धता तथा उनमें से किसी एक का चयन नहीं कर पाने की स्थिति को दर्शाता है। लोकसेवा में अस्पष्टता की स्थिति बचना अच्छा होता है। जब कार्यवाही अस्पष्ट होगी तो दूसरों को उसके लिए सहमत कर पाना संभव नहीं होता है।

Anchor/मार्गदर्शक: नीतिशास्त्र में, मार्गदर्शक उस व्यक्ति को मानता है जो लोगों को सुरक्षित एवं विश्वास से युक्त महसूस कराता है तथा उसपर लोगों को भरोसा होता है।

Anthropocentrism/मानव-केन्द्रित विचारधारा (मानव शास्त्रीय विचारधारा): यह मानव विकास संबंधी मानवीय प्राथमिकता वाले अर्थात "मानवशास्त्रीय" दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। दर्शनशास्त्र इस दृष्टिकोण में, मनुष्य को एकमात्र या प्राथमिक नैतिक स्थिति का धारक माना जाता है।

Anxiety/उद्वेग: उद्वेग एक भावनात्मक गुण है जो आंतरिक अशांति की अप्रिय स्थिति को दर्शाता है, यह अक्सर उदासी एवं क्रोध के रूप में दिखाता है इसके अंतर्गत चिंता करना, बेवजह क्रोध आना, झुंझलाहट होना, शरीर में दर्द होना, अस्थिर मानसिक स्थिति आदि के लक्षण दृष्टिगत होते हैं।

Apathetic/उदासीनता: उदासीनता, भावनात्मक अलगाव या दमन की एक स्थिति है जिसके अंतर्गत स्वयं द्वारा चिंता, उत्तेजना, प्रेरणा या जुनून जैसी भावनाएं दमित कर दी जाती है। एक उदासीन व्यक्ति में भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, भौतिक जीवन या दुनिया के बारे में रुचि या लगाव का अभाव हो सकता है।

Applied Ethics/व्यावहारिक नीतिशास्त्र: यह नैतिक विचारों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। यह वास्तविक दुनिया में कृत व्यवहार का सम्मान करता है, साथ ही यह निजी और सार्वजनिक जीवन, पेशे, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, कानून और नेतृत्व के क्षेत्रों में नैतिक विचारों एवं नैतिकता के रूप में प्रकट/प्रयुक्त होता है।

Appreciation/अभिमूल्यन: यह किसी कृत्य या वस्तु के महत्व एवं मूल्य को समझने या मान्यता देने की क्रिया है। नैतिक अभिमूल्यन में नैतिक एवं सांस्कृतिक मानवीय तत्व अंतर्निहित है।

Aptitude/अभिवृत्ति: योग्यता या अभिवृत्ति समय के साथ कौशल सीखने या विकसित करने की हमारी क्षमता है, जो शारीरिक या मानसिक हो सकती है। अर्थात अभिवृत्ति ज्ञान, समझ, सीखा या अधिग्रहित योग्यता (कौशल) या दृष्टिकोण नहीं है वरन सीखने की क्षमता है।

Administrative Discretion/प्रशासनिक विवेक: लोक अधिकारियों का कार्य सिर्फ नीति क्रियान्वयन तक ही सीमित न होकर लोगों के जीवन से संबंधित निर्णयों से भी जुड़ा होता है। ऐसा करते समय वे अपने विवेक का प्रयोग करते हैं जिससे नैतिक दुविधा का भी समाधान किया जा सके।

Assumption/धारणा: धारणा अभिवृत्ति, विश्वास, मत अथवा व्यवहार/आचरण को परिवर्तित करने या निर्धारित (निर्मित) करने की प्रक्रिया है।

Attitude/अभिवृत्ति: अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या उदासीन भावना है, जिसका संबंध एक प्रकार के व्यवहार से है, जो कार्य करने के तरीके या वाह्य विश्व के साथ सम्बन्धों के रूप में परिभाषित होता है।

Authoritarian Style/अधिनायकवादी शैली: जब कोई नेता अधीनस्थों या नागरिकों की सार्थक भागीदारी के बिना नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के साथ सभी गतिविधियों को भी निर्देशित और नियंत्रित करता है तो नेतृत्व की इस शैली को अधिनायकवादी शैली कहा जाता है। इसमें नेता ही तय करता है कि लक्ष्यों को किस रूप में प्राप्त किया जाना है, क्या प्राप्त करना है और क्या प्राप्त नहीं करना है।

Awareness/जागरूकता: जागरूकता किसी स्थिति या तथ्य से संबंधित ज्ञान या धारणा है। यह किसी चीज के घटित होने के संबंध में क्या, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों का समाधान से सम्बंधित होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आस-पास एवं विश्व की बेहतर समझ विकसित करने में सक्षम हो पाता हैं।